

(ix) दलितों के लिए निम्नलिखित एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था तत्काल लागू हो। दलित के लिए दलित क्षेत्रों के स्कूलों में बेहतर सुविधाएँ हों और व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा भी जाए। दलित बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ तथा निरक्षरों की संख्या के अनुपात में दूसरे से हुए धन राशि आवंटित किया जाए।

(x) सरकारी एवं निजी विद्यालयों एवं तकनीकी एवं व्यवसायिक सं दलित बच्चों के प्रवेश हेतु धारणा लागू किया जाए। सरकारी स्तर पर कम कामकी वाले परिवारों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्रदान कि जाए। अग्रेजी माध्यम वाले सभी स्कूलों में दलितों के बच्चों को दरिद्रों में अथ्य प्रथाएं प्रतिनिधित्व किया जाए।

5/4/19

(xi) दलित महिलाओं को विशेष महिला श्रेणी में शामिल किया जाए। उसके मुताबित प्रान्तागत रिपोर्ट और विकास रिपोर्ट में उनके लिए अलग से आकड़े हो इन्हें विकास योजनाओं द्वारा मुख्य धारा से जोड़ने के उपाय किए जाए। राष्ट्र एवं राज्य महिला सं अभिाग को निर्देश दिया जाए कि वे इस श्रेणी की महिलाओं की

विभिन्न स्थिति का अंकितन अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किए

12 अनुसूचित जन जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 एवं 1995 को कड़ाई से लागू किया जाने जातियों विना किसी वैधानिक कठंग लोगों और उनके साथ रिश्ता रखने वाले पुलिस अधिकारियों पर मुकदम चलाए जाए। दलितों पर अप्रामाण्य या अत्याचार करने वाले मामलों पर कोषियों पर सामूहिक दण्ड प्रोत्सा व्यवस्था कि जाए। जिससे अत्याचार कानून को चकमा न दिया जाए।

13 विश्व विद्यालयों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में दलितों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। इस नियम का जो मंथारें पारित न करें उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाए। और उन्हें मिलने वाले अनुदान को भी बंद कर दिया गया जाए। निम्न उद्योगों या व्यवसाय इकाइयों में भी इसी तरह की व्यवस्था तत्काल लागू की जाए।

14 राष्ट्रय एवं सभी राज्यों की वजह इसी के दलितों की आवादी के अनुसार उही के हिसाब से राशि तय की जाए। इस रूझी का अन्य जगह इउपयोग करने वाले के विरुद्ध कठोर कारावाई कि जाए।